न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0/इलेक्ट्रिसिटी एक्ट), कक्ष सं0–4 देवरिया।

उपस्थित– नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code-UP-2696)
फौजदारी वाद संख्या–243/2018
(CNR No.UPDE01004040-2018)

उत्तर प्रदेश राज्य

..............अभियोजक

बनाम

लालजी सिंह पुत्र चिल्लर सिंह, निवासी लीलापुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया।

..................अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं0–435/2017
धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–रामपुर कारखाना, जनपद–देवरिया।

निर्णय

01. पुलिस थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया द्वारा अभियुक्त **लालजी सिंह** के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–435/2017 धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम थाना–रामपुर कारखाना जिला देवरिया के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

02. प्रस्तुत मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा नरेन्द्र कुमार सिह द्वारा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया में इस आशय का तहरीर दर्ज कराया है कि दिनांक 13.10.2017 समय दोपहर में विभागीय टीम के द्वारा विद्युत चोरी चेकिंग के दौरान उपभोक्ता लालजी सिंह के मकान /परिसर की चेकिंग की गयी तो इनके द्वारा विद्युत विच्छेदन किया गया था, परन्तु दिनांक 13.10.2017 को निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता का विद्युत जुडा पाया गया। जो अवैध रूप से विद्युत का उपभोग किया गया। जो विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत धारा 138(b)के अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मामला दर्ज कर कार्यवाही किया जाय।

03. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–रामपुर कारखाना, जिला देवरिया में अभियुक्त **लालजी सिंह** के विरूद्ध अपराध

संख्या–435/2017 धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 13–12–2018 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त लालजी सिंह के विरूद्ध धारा– 138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप दिनांक 18–07–2025 विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपित आरोप से इंकार किया और विचारण की माँग की।

05. अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची से शमन शुल्क भुगतान रसीद मु0–4000/– रूपया की छायाप्रति प्रदर्श क–1 राजस्व निर्धारण शुल्क भुगतान रसीद मु0– 3423/– रूपया की छायाप्रति प्रति प्रदर्श क–2, व अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया गया है।

06. पत्रावली पर सी0 डब्लू0–1 के रूप में साक्षी अनिल कुमार सिंह, टी0जी0–2, विद्युत वितरण खण्ड गौरी बाजार, जिला देवरिया को परीक्षित कराया गया।

07. मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

08. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना रामपुर कारखाना द्वारा धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त द्वारा सभी बकाया धनराशि एवं शमन शुल्क जमा कर दिया गया है एवं अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क भुगतान की रसीद की छायाप्रति क्रमशः **प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 व अदेयता प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रदर्श क–3** पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसे सी0 डब्लू0–1 साक्षी अनिल कुमार सिंह, टी0जी0–2, विद्युत वितरण खण्ड गौरी बाजार, जिला देवरिया द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उसकी सत्यता को स्वीकार किया गया है। चूँकि अब अभियुक्त के उपर कोई बकाया धनराशि शेष नहीं है तथा अभियुक्त द्वारा समन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया गया है। जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध अब मुकदमा चलाए जाने का कोई औचित्य नही है। अभियुक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत आपराधिक वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा–152 विद्युत अधिनियम शमित किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त लालजी सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप अपराधिक वाद संख्या–243/2018, मुकदमा अपराध संख्याः–435/2017 राज्य –बनाम– लालजी सिंह धारा–138(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम थाना–रामपुर कारखाना, जिला देवरिया अन्तर्गत धारा–152 भारतीय विद्युत अधिनियम शमित की जाती है, इसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा ।

अभियुक्त जमानत पर है उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानत पत्र निरस्त कर जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः 03–06–2026

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश
(ई0सी0/इलेक्ट्रिसिटी एक्ट)
कक्ष संख्या–04, देवरिया

आज यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 03–06–2026

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश
(ई0सी0/इलेक्ट्रिसिटी एक्ट)
कक्ष संख्या–04, देवरिया